प्रेस विज्ञप्ति
20.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिनकॉन ग्रुप के तहत विभिन्न कंपनियों द्वारा एकत्र की गई सार्वजनिक जमा राशि के दुरुपयोग के संबंध में मनोरंजन रॉय (पिंकॉन ग्रुप के मास्टरमाइंड) और अन्य के करीबी सहयोगियों हरि सिंह और बिनय सिंह के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने 12.02.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने खेजुरी पुलिस स्टेशन, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल द्वारा पिनकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक मंडल और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 और पश्चिम बंगाल वित्तीय प्रतिष्ठान में जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा अधिनियम, 2013 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आर्थिक अपराध निदेशालय, कोलकाता ने इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था। हरि सिंह और बिनय सिंह को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया था।

ईडी की जांच से पता चला कि हरि सिंह जनता से धन इकट्ठा करने के उत्तर भारत के संचालन की देखरेख कर रहे थे और बिनय सिंह चिट फंड व्यवसाय चलाने में मोनोरंजन रॉय की सक्रिय सहायता कर रहे थे। जांच के दौरान, यह भी पता चला कि हरि सिंह और बिनय सिंह ने मनोरंजन रॉय और पिनकॉन समूह की कंपनियों के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर एमआईएस, एफडी और आरडी जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत परिपक्वता पर उच्च ब्याज दर का लालच देकर जनता से धन एकत्र किया। हालांकि, उन्होंने परिपक्वता के बाद निवेशकों को उनका बकाया नहीं दिया और इस तरह उनके साथ धोखाधड़ी की। मैसर्स पिनकॉन ग्रुप ने कुल मिलाकर 638 करोड़ रुपए (लगभग) उपरोक्त योजनाओं के नाम पर जनता से एकत्रित किए। बिनय सिंह और हरि सिंह दोनों ने कथित तौर पर चिटफंड घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी निजी कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया है।

आगे की जांच जारी है.